उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तषासी निकाय, विष्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हर्रावाला, देहरादून – 248001

दूरभाश : 0135–2685124, फैक्स : 0135–2685137, ईमेल : uauaffiliation@gmail.com

पत्रांक 2234 /उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2019–20 दिनांक : 23/11/2019

सेवा में,

1. प्राचार्य/अधीक्षक, हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, डोईवाला, देहरादून।
2. प्राचार्य/अधीक्षक, चन्दौला होम्योपैथिक, मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल ,रूद्रपुर, उधमसिंह नगर।
3. प्राचार्य/अधीक्षक, पतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, एवं योगपीठ हरिद्वार।
4. प्राचार्य/अधीक्षक, क्वाड्रा इस्टीट्यूट आफ आयुर्वेद रूड़की, हरिद्वार रोड़ रूडकी ।
5. प्राचार्य/अधीक्षक, ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, एवं रिसर्च सेन्टर रूड़की हरिद्वार।
6. प्राचार्य/अधीक्षक, मदरहुड आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज भगवान पुर रूड़की हरिद्वार ।
7. प्राचार्य/अधीक्षक, उत्तरांचन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, 17 ओल्ड मसूरी रोड़ राजपुर ,देहरादून।
8. प्राचार्य/अधीक्षक, उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, मुस्तफ़ाबाद, हरिद्वार ।
9. प्राचार्य/अधीक्षक, हरिद्वार आयुर्वेदि मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर मुस्तफाबाद हरिद्वार।
10. प्राचार्य/अधीक्षक, परम हिमालय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डोईवाला, देहरादून ।
11. प्राचार्य/अधीक्षक, शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बंशीवाला, सेलाकुई देहरादून।
12. प्राचार्य/अधीक्षक, देवभूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एण्ड हॉस्पिटल माण्डुवाला, देहरादून।
13. प्राचार्य/अधीक्षक, दून इस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद फैकल्टी, मेडिकल साईन्सेज शंकरपुर, सहसपुर देहरादून।
14. प्राचार्य/अधीक्षक, बिहाईव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल, सेन्ट्रल होप टाउन सेलाकुई, देहरादून।
15. प्राचार्य/अधीक्षक, विशम्बर सहाय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर रूडकी ।
16. प्राचार्य/अधीक्षक, श्रीमती मंजीरा देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, एवं हास्पिटल हिटाणु, उत्तरकाशी ।

विषय :– **मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल एवं आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 1955 दिनांक 22 नवम्बर 2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको निर्देशित करना है कि आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के आदेश संख्या 1955/XXXX/2019–88/2006T.C-1 तत्काल/सर्वोच्च प्राथमिकता दिनांक 22 नवम्बर 2019 के द्वारा श्रीमान दिलीप जावलकर, सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि निजी संस्थानों में शुल्क वृद्धि के विरूद्ध याचिका को मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड के द्वारा रिट याचिका संख्या 1565/2018 (MS) में पारित आदेश दिनांक 09 जुलाई 2018 तथा रिट याचिका संख्या 1849/2017 (MS) में भी यथावत रखा गया है।

P.T.O.

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड के आदेश का अनुपाल करने हेतु आयुष एवं आयुष शिक्षा, विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए है कि सभी निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा जारी पुराने शुल्क को यथावत रखने के आदेशों का अनुपाल किया जाना अनिवार्य है, एवं छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश दिया जाना अति आवश्यक है, इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के द्वारा शक्त निर्देश है कि जो भी निजी संस्थान मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करेंगा उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय के अधिनियम 2009 की धारा 37 (1) के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी जिसका उत्तरदायित्व खुद संस्थान का होगा।

अतः समस्त निजी संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों का अनुपालन 15 दिनों के भीतर करना सुनिश्चित करें, तथा छात्रों को कक्षा में प्रवेश देना सुनिश्चित किया जाये एवं छात्रों की उपस्थिति के अभिलेखों (उपस्थिति पंजिका) तथा अनुपालन आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोपरि–

भवदीय,

(डॉ माधवी गोस्वामी)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सविच मा0 कुलपति महोदय को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सम्बन्धित संस्थानों को नाम से ।
4. गार्ड फाईल

(डॉ माधवी गोस्वामी)
कुलसचिव

संख्या– 1955 तत्काल/सर्वोच्च प्राथमिकता
XXXX/2019-88/2006 T.C-1

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
हर्रावाला, देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 22 नवम्बर, 2019

विषयः– **मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के द्वारा दिनांक 09 जुलाई, 2018 एवं 09 अक्टूबर 2018 को पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या–1565/2018(MS) में पारित आदेश दिनांक 09.07.2018 द्वारा शासनादेश संख्या–2287 दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 द्वारा निर्धारित शुल्क वृद्वि को अपास्त किया गया है। इस आदेश को मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल की खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या–1849/2017(MS) में भी यथावत रखा गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में निजी आयुष महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि महाविद्यालयों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–1737 दिनांक 02 नवम्बर 2018, पत्र संख्या–1772 दिनांक 22 नवम्बर, 2018, पत्र संख्या–326 दिनांक 22 मार्च, 2019, पत्र संख्या–465 दिनांक 23 अप्रैल, 2019 एवं पत्र संख्या–1205 दिनांक 04 नवम्बर, 2019 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है। किन्तु आतिथि तक भी मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन निजी आयुष महाविद्यालयों द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण आयुष छात्र अभी भी आन्दोलनरत हैं। यह स्थिति उचित नहीं है।

3– अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि एक माह के भीतर उल्लिखित निजी आयुष महाविद्यालय मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करते हैं तो उनके विरूद्व उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–37(1) के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– XXXX/2019-88/2006 T.C-1 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित–

1. कुलपति, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला, देहरादून।
2. जिलाधिकारी देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंह नगर/उत्तरकाशी।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंह नगर/उत्तरकाशी।

आज्ञा से

(आनन्द स्वरूप)
अपर सचिव।